



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 05-03-2025

प्रयागराज महाकुम्भ-2025 के सफल समापन के उपरान्त प्रयागराज से लाए गए संगम के पवित्र जल का आमजनमानस एवं श्रद्धालुओं में पुलिस लाइन बागपत में संगम के पवित्र जल वितरण के सम्बन्ध में-

विवरण -

अवगत कराना है कि महाकुम्भ-2025 के सफल समापन के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की इच्छानुरूप त्रिवेणी संगम के पवित्र जल का आमजनमानस एवं श्रद्धालुओं में सभी जनपदों में वितरण किया जा रहा है इसी क्रम में आज दिनांक 05.03.2025 को पुलिस लाइन बागपत में श्रद्धालुओं के लिए पवित्र जल का वितरण किया गया। बता दें कि जनपद बागपत से महाकुम्भ प्रयागराज में ड्यूटी पर लगी 02 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों द्वारा ड्यूटी से वापस आते समय लगभग 10000 लीटर संगम का पवित्र जल पुलिस लाइन जनपद बागपत ला गया है। आज पुलिस लाइन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पवित्र जल के विधिवत पूजन अर्चन के उपरान्त श्रद्धालुओं को जल वितरित किया गया।



आप सभी को सूचित किया जाता है कि जो भी आमजनमानस एवं श्रद्धालु संगम के पवित्र जल ले जाने का इच्छुक हो वह पुलिस लाइन जनपद बागपत से संगम का पवित्र जल ले जा सकते हैं।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक-05.03.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 127/25 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. से सम्बन्धित हत्यारोपी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदाही पर मृतका का शव एवं घटना में प्रयुक्त 01 दरांती (आलाकत्ल) बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.03.2025 को थाना बडौत पर वादी अमित कुमार पुत्र ईश्वर निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी के छोटे भाई सुमित पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ने उसकी मां की हत्या करके साक्ष्य मिटाने की नियत से शव को ईख के खेत में छिपा दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 127/25 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 127/25 धारा 103(1)/238 बी.एन.एस. से सम्बन्धित 01 हत्यारोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया

गया है, जिसकी निशांदाही पर मृतका का शव तथा घटना में प्रयुक्त 01 दरांती (आलाकत्ल) बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुमित पुत्र ईश्वर सिंह निवासी ग्राम शाहपुर बडौली थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 1183/2021 धारा 304/201 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

2- मु0अ0सं0 244/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त सुमित ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी माँ मुझे नशा करने के लिये रूपये नहीं देती थी तथा उल्टा सीधा कहती थी । दिनांक 03.03.25 की रात्रि में नशा करके घर आया तो मेरी माँ मुझे गालियाँ देने लगी इसी बात को लेकर मैंने अपनी मां का दरांती से गला रेतकर हत्या कर दी तथा शव को गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया ।

बरामदगी का विवरण---

- मृतका का शव ।
- घटना में प्रयुक्त 01 दरांती (आलाकत्ल) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---

1-SHO श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।

3-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-म0उ0नि0 कु0 पारुल वर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।

5-है0का0 629 भारत भाटी थाना बडौत जनपद बागपत ।

6-है0का0 311 आदेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

7-का0 647 प्रवीण कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

8-का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।

9-म0का0 258 रेनु चौहान थाना बडौत जनपद बागपत।



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट की आरोपी संजो उर्फ संजीदा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2015 में अभियुक्ता संजो उर्फ संजीदा पत्नी वकील निवासी गुराना रोड़ कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा अवैध मादक पदार्थ तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 908/2015 धारा 8/20 व 8/15 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त संजो उर्फ संजीदा को दोषी पाते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री दिनेश कुमार शर्मा
एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी राजकुमार कोर्ट
पैरोकार थाना बड़ौत

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम के आरोपी अनिल उर्फ बब्लू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अनिल उर्फ बब्लू पुत्र भजनलाल निवासी पट्टी मनोहर कस्बा दोराला थाना दोराला जनपद मेरठ के विरुद्ध थाना दोघट पर मु0अ0सं0 140/2012 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, , जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 05.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अनिल उर्फ बब्लू को हुई 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 05-03-2025

थाना खेकडा पुलिस चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु तस्करी की घटना में प्रयुक्त 01 गाडी टाटा अल्ट्रा नं0 HR-39F-8413 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 44 पशु बरामदा

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध पशु तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग व ईटस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस बडागांव टोल के पास से 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से पशु तस्करी की घटना में प्रयुक्त 01 गाडी टाटा अल्ट्रा नं0 HR-39F-8413 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 44 पशु बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राजू पुत्र गुल्ला सिंह निवासी ग्राम नांगल थाना रतिया जनपद हिसार हरियाणा।
2. परवेज पुत्र नानू निवासी मौ० केतीपुरा कस्बा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 गाडी टाटा अल्ट्रा नं० HR 39 F 8413
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए कुल 44 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० नरेश पाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2- है०का० 376 गंगादास थाना खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3- है०का० 452 मनोज कुमार थाना खेकडा थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 05.03.2025

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग 77/25धारा 63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शोएब उर्फ मन्नू पुत्र सलीम निवासी मौ0 शेखपुरा कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 48 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री विकास कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
2. उ०नि० यूटी सनुज कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
3. का० 555 रवि कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
4. का० 535 अतुल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 22 पाउच अवैध देशी शराब यू०पी० मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 22 पाउच अवैध देशी शराब यू०पी० मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिजवान पुत्र मोमीन निवासी नई बस्ती मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली
बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 22 पाउच अवैध देशी शराब यू0पी0 मार्का

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-का0 41 रविन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-का0 1026 रघुराज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 05.03.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है । जिसके कब्जे से 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

तालिब पुत्र तारिक अहमद निवासी मौहल्ला मगुलपुरा छत्ते वाली मस्जिद के पास कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2- उ०नि० श्री सत्यम जंगाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3- उ०नि० श्री आरिफ अली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत
- 4- है०का० 12 धीरज थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5- है०का० 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 6- का० 369 विशाल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

